वर्ल्ड फूड इंडिया (एक्जीबिशन) 2024 (16 जुलाई 2024) हेतु बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त

वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के दौरान प्रदर्शनी के आयोजन हेतु बोलियां आमंत्रित करने के लिए 16 जुलाई, 2024 को आयोजित बोली-पूर्व बैठक के दौरान बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे और उस पर एपीडा का जवाब इस प्रकार है:

टीओआर की बिंदु सं.	मौजूदा प्रावधान	एपीडा का जवाब
4.2.2	एजेंसी को पिछले 5 वित्तीय वर्षों में से किसी भी तीन वर्षों के दौरान भारत/भारत के बाहर आयोजित इवेंट मैनेजमेंट व्यवसाय (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में पवेलियन के डिजाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव से संबंधित) से प्रति वर्ष न्यूनतम 5,00,00,000/- (पांच करोड़ रुपये मात्र) का टर्नओवर अर्जित करना चाहिए। टर्नओवर केवल आवेदक संगठन के नाम पर होना चाहिए , न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर।	**परिवर्तन नहीं**
4.3.4	एनएसआईसी और एमएसएमई पंजीकृत एजेंसी को ईएमडी जमा करने से छूट अनुलग्नक-1 में दिए गए विवरण के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी "छूट प्रमाण पत्र" की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करने की शर्त पर लागू होगी।	एनएसआईसी और एमएसएमई पंजीकृत एजेंसी को ईएमडी जमा करने से छूट सरकारी नियम के अनुसार लागू होगी।
5.4.3	कॉमन एरिया में ब्रांडिंग के लिए 3 x 2 मीटर की कम से कम दो एलईडी वॉल/वीडियो वॉल का प्रावधान। इसके अतिरिक्त, एजेंसी को विज्ञापन के रूप में भाग लेने वाली कंपनियों के प्रचार के लिए निरंतर चलने वाले वीडियो के लिए पर्याप्त	कॉमन एरिया में ब्रांडिंग के लिए 3 x 2 मीटर की कम से कम दो एलईडी वॉल/वीडियो वॉल का प्रावधान। स्क्रीन का रिज़ॉल्यूशन कम से कम फुल एचडी (1920 x 1080) होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एजेंसी को विज्ञापन के रूप में भाग लेने वाली कंपनियों के प्रचार के लिए

	प्रावधान करना होगा।	लगातार चलने वाले वीडियो के लिए पर्याप्त प्रावधान करना होगा।
5.6.3	कॉमन वेट सैंपलिंग एरिया में लाइव कुकिंग, चाय, कॉफी बनाने, विभिन्न खाद्य उत्पादों (गीले/सूखे) का नमूना लेने और चखने के लिए माइक्रोवेव, ओटीजी, इंडक्शन कुकर, एयर फ्रायर आदि का प्रावधान होना चाहिए। एजेंसी व्यंजनों के प्रदर्शन के लिए एक प्रतिष्ठित शेफ की व्यवस्था करेगी।	वेट सैंपलिंग एरिया को रेस्तरां जैसा अनुभव देना चाहिए , जिसमें आगंतुक शेफ द्वारा तैयार व्यंजनों का लाइव प्रदर्शन देख सकें , साथ ही शेफ के लिए ऑडियो सिस्टम और कॉलर माइक की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कॉमन वेट सैंपलिंग एरिया को पैरा 5.6.1 के अनुसार डिजाइन किया जाना है , जिसमें खाना पकाने के लिए वेट सैंपलिंग लेने तथा शेफ द्वारा व्यंजनों का प्रदर्शन करने के लिए एक स्टेशन तथा चाय और कॉफी के नमूने लेने और चखने के लिए एक अलग काउंटर होगा।
8.3.4 (iii)	पिछले 5 वित्तीय वर्षों में से किसी भी तीन वर्षों के दौरान भारत/भारत के बाहर आयोजित इवेंट मैनेजमेंट व्यवसाय (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में मंडपों के डिजाइन , निर्माण और रखरखाव से संबंधित) से एजेंसी का वार्षिक कारोबार। कारोबार केवल आवेदक संगठन के नाम पर होना चाहिए , न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर। अंकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है: क. 6-8 करोड़ रु. -3 अंक ख. 8 करोड़ रु .से अधिक -5 अंक	**परिवर्तन नहीं**

8.3.4 (iv)	भारत में/भारत के बाहर आयोजित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में पवेलियन के डिजाइन , निर्माण-कार्य और रखरखाव के लिए टर्नकी आधार पर कार्यों के निष्पादन का अनुभव। जहाँ (i) कम से कम एक पवेलियन 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्र में फैला होना चाहिए, और एजेंसी ने कम से कम 3 (तीन) इवेंट आयोजित किए होंगे , जिनका मूल्य 50.00 लाख रुपये / प्रति इवेंट पचास लाख रुपये से कम नहीं होगा। अंकों का विवरण नीचे दिया गया है: क. 4-6 इवेंट्स 3 अंक ख. 6 से अधिक इवेंट्स 5 अंक	**परिवर्तन नहीं**